408

अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग

क्रमांक एफ 4( )परावि / प्र.2 / सू.अ. / 05 / 3442 जयपुर, दिनांक 24 सितम्बर, 2007

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 4( )परावि / प्र.2 / सू.अ. / 05 / 3298 दिनांक 31 अक्टूबर, 2005 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निदेशालय / मुख्यालय के लिए आयुक्त पंचायती राज विभाग, जिला परिषद् के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति, के लिए अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् एवम् ग्राम पंचायतों के लिए संबंधित विकास अधिकारी को अपील अधिकारी नियुक्त किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुऐ गृह (ग्रुप–6) विभाग के पत्रांक प.3 (22) गृह–6 / 06 दिनांक 23 दिसम्बर, 2006 के क्रम में निम्नप्रकार से संशोधन किया जाता है:–

क्र. सं.	लोक प्राधिकरण	लोक सूचना अधिकारी	अपील अधिकारी
1.	समस्त जिला परिषदों के लिए	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् संबंधित	जिला प्रमुख, जिला परिषद्, संबंधित
2.	समस्त पंचायत समिति के लिए	संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति	संबंधित प्रधान, पंचायत समिति
3.	समस्त ग्राम पंचायतों के लिए	संबंधित ग्राम सेवक एवम् पदेन सचिव, ग्राम पंचायत	संबंधित सरपंच, ग्राम पंचायत

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

शासन सचिव एवम् आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक / निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव विधि एवम् न्याय मंत्रालय, भारतर सरकार, नई दिल्ली।
7. संयुक्त सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवम् पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. शासन उप सचिव गृह (ग्रुप–6) विभाग को उनके पत्रांक प.3(22) गृह–6 / 06 दिनांक 23 दिसम्बर, 2006 के संदर्भ में प्रेषित है।
9. निदेशक, सूचना एवम् जन सम्पर्क विभाग को मय 7 प्रतियों के प्रकाशनार्थ।
10. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
11. जिला कलक्टर, समस्त।
12. समस्त मुख्य / अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
13. सम्पादक, राजस्थान विकास, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
14. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति।
15. आदेश पत्रावली।

शासन उप सचिव (प्रशा.1)

D:\Adesh\Order\writeofinformation.doc

Katiyar,PA